राजस्व लोक अदालत (न्याय आपके द्वार –2018) कैम्प कोर्ट– थालडका

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 47 सन 2018

अनवान :–

1. दीपक पुत्र देवीराम जाति जाट निवासी थालडका तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. देवीराम पुत्र जसूराम जाति जाट निवासी थालडका तहसील नोहर।
2. दीपकला 3 मजुबाला 4 सुनिता 5 मिनाक्षी पुत्रीया देवीराम जाति जाट साकिन थालडका तहसील नोहर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 15.05.2018

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्व लोक अदालत " (न्याय आपके द्वार – 2018") में पेश किया गया संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 17 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 19/13 की कुल 1.0910हैक, चक 19 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 23/78 की कुल 2.66915हैक चक 1 केएम के खाता संख्या 22/20 की कुल 0.5680हैक भूमि वादी के दादा जस्सू पुत्र लेखू के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से उनके अन्य पुत्रों के साथ वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज होने के कारण वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में अपने बाहमी बटवारा के अनुसार दर्ज करवाना चाहते है।

वादी का वाद राजस्व लोक अदालत में पेश होने पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने लोक भावना से प्रेरित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि में पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 ने निवेदन किया की वाद भूमि में उन्होने अपने हकों का त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का हक हिस्सा है जिसे उनके नाम से दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों की ताईद में राजीनामा पेश किया जो शामिल मिसल किया ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि वादी के दादा के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि प्रतिवाादी संख्या 1 के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति होना साबित है हिन्दु उताराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 का बराबर का हक है तथा वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 ने अपने हकों का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किया जा चुका है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 ने स्वीकार किया जाकर राजीनामा पेश किया जा चुका है।

इसप्रकार वादी के प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के द्वारा स्वीकार करने के कारण काबिल डिक्री है किन्तु प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 ने अपने हकों का त्याग करने के कारण स्टॉम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अत: वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं आपसी सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 17 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 19/13 की 1.0910हैक व रोही मौजा चक 19 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 23/78 की कुल 2.66915हैक भूमि एवं चक 1 केएम के खाता संख्या 22/20 की 0.5680हैक भूमि में जो भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 दोनो बहिब के खातेदार काश्तकार है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु 5000/– अखरे रूपये पाचं हजार का स्टाम्प इजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 15.05.2018 को मेरे द्वारा राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार – 2018 में लिखाया जाकर मजमें आम में सुनाया गया ।

शिविर प्रभारी
राजस्व लोक ~~दालत~~ 2018
~~उपखण्ड~~ अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
कैम्प कोट–थालडका

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

राजस्व लोक अदालत (न्याय आपके द्वार –2018) कैम्प कोर्ट–थालडका

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :– सैयद शीराज अली जैदी (आर.ए.एस)

अनवान :–

1. दीपक पुत्र देवीराम जाति जाट निवासी थालडका तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1 देवीराम पुत्र जसूराम जाति जाट निवासी थालडका तहसील नोहर।

2. दीपकला 3 मजुबाला 4 सुनिता 5 मिनाक्षी पुत्रीया देवीराम जाति जाट साकिन थालडका तहसील नोहर।

6 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 47 सन 2018 निर्णय दिनांक–15.05.2018

आज यह वाद राजस्व लोक अदालत '' न्याय आपके द्वार – 2018 में मुझ सैयद शीराज अली जैदी उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 17 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 19/13 की 1.0910हैक्व व रोही मौजा चक 19 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 23/78 की कुल 2.66915हैक्व भूमि एवं चक 1 केएम के खाता संख्या 22/20 की 0. 5680हैक्व भूमि में जो भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 दोनो बहिब के खातेदार काश्तकार है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु 5000/– अखरे रूपये पाचं हजार का स्टाम्प इजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

निर्णय आज दिनांक 15.05.2018 को मेरे द्वारा राजस्व लोक अदालत '' न्याय आपके द्वार – 2018 में लिखाया जाकर मजमें आम में सुनाया गया ।

शिविर प्रभारी
राजस्व लोक अदालत–2018
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
कैम्प कोट–थालडका